न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 19/2013

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 सोनाराम पुत्र केसाजी		1 मनरूपाराम पुत्र धन्नाजी जाति चौधरी निवासी जैतपुरा तहसील आहोर
2 सीता पत्नी सोनाजी जातिगण मीणा निवासीगण नया जेतपुरा हाल जेतपुरा तहसील आहोर		2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आहोर जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 8.6.18

अपीलांट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहत सहायक कलेक्टर, आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2011 बअनवान श्रीमती मनरूपाराम बनाम सोनाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन मय अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध अपीलांट के ग्राम जैतपुरा के खसरा नम्बर 11 रकबा 1.16 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर भूमि जो जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 22.12.2008 सोहनसिंह पुत्र जोधसिंह राजपूत निवासी तखतगढ से खरीद की, जो तरमीम सुदा आराजी का खसरा नम्बर 238/11 रकबा 0.16 हैक्टर दर्ज किया। उपरोक्त आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 11 एवं पूर्व खसरा नम्बर 95 के किसी भी भाग पर खातेदार सोहनसिंह पुत्र जोधसिंह राजपूत निवासी तखतगढ का कब्जा नहीं रहा एवं न ही कब्जा होते हुए बेचान रेस्पोडेन्ट एक के पक्ष में कर दिया, जबकि कब्जा सुपुर्द ही नहीं किया गया। अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

का मकान रेस्पोडेन्ट एक की खरीद से पूर्व का बना हुआ है, कब्जा कैसे व किस आधार पर लिया स्पष्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को कब्जे के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब किया जाना था जो नहीं किया गया। अपीलांट का विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा किया, जिसका कोई खण्डन रेस्पोडेन्ट के द्वारा नहीं किया। रेस्पो. एक ने अपने बे ..ननामे को धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साबित कराया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को शहादत पेश करने का भी उचित अवसर नहीं दिया। अपीलांट का पुराना कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जांच के आदेश पारित किया, जो विधि विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता का तर्क है कि रेस्पोडेन्ट ने एक दावा बेदख़ली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का' विरुद्ध अपीलांटगण के अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। बाद जांच व सुनवाई के निर्णय दिनांक 28.03.2013 को दावा स्वीकार कर स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जिसके विरुद्ध यह अपील अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत की है। रेस्पों ने यह भूमि जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 22.12.2008 के द्वारा खरीद की जिसका नामान्तरकरण भी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में हो चुका है। रेस्पोडेन्ट का खरीद के वक्त से कब्जा चला आ रहा है जो तरमीमसुदा खसरा नम्बर 238/11 रकबा 0.16 हैक्टर दर्ज किया। खरीद एवं तरमीम सुदा भूमि आबादी से लगती हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि प्रक्रिया अपनाते हुए बाद जांच व सुनवाई के विधि सम्मत आदेश पारित किया है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारीज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अणिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पारित निर्णय एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में जैर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खरीदसुदा होकर खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करना दर्शाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर प्रक्रिया अनुसार तनकीयात कायम कर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात को विनिश्चित किया है। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की ताईद करता हो, इसके विपरित राजस्व रेकर्ड के अनुसार रेस्पोडेन्ट खातेदार काश्तकार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार की भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कब्जे को कानूनन अतिक्रमण की श्रेणी में परिभाषिक किया गया है तथा इस प्रकार किए गए अतिचार को बेदखल किया जाकर कब्जा पुनः खातेदार को दिलवाया जाना ही न्याय की मंशा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर, आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2011

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बअनवान श्रीमती मनरूपाराम बनाम सोनाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2013 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर